

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

| | |
|---|--|
| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज <u>शिवराम</u> बनाम <u>सुशोभा कुमार</u> मु.नं.- 71/22 किस्म - T.E | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| <p>5-11-24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य हेतु एडवोकेट जयपुर प्यारे जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली प्रशानुसार दिनांक 26.11.24 को पेश हो।</p> <p>26.11.24 पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपस्थित। पत्रावली वास्तु में बहस प्रारंभ दिनांक 24.12.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p> <p>24.12.24 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान को धार.2 कायाज लगाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। पत्रावली लम्बे समय से बहस में लंबित है। शर्मा से धार-2 निर्देशों के बावजूद निर्देशों को कायम रखना की जा रही है। पत्रावली आदेश 9 नियम 3 CPC के अनुसरण में शर्मा के अदम हाजरी व कायम पेशी में खारिज की जाती है। साथ ही प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 ROTA 1955 में जारी अन्तरिम आदेश विधेयाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फौजल शुमार होकर साखिल स्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p> | |